# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या–38/2013/नागौर.**
**(सम्बन्धित अपील संख्या–501/2012/नागौर)**

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–नागौर. .....अपीलार्थी (अप्रार्थी).

बनाम

मैसर्स जोगमाया ऑयल इण्डस्ट्रीज, मेड़तासिटी, नागौर. .....प्रत्यर्थी (प्रार्थी).

**खण्डपीठ**
**श्री मदन लाल, सदस्य**
**श्री के. एल. जैन, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री कृष्ण गोपाल खत्री, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 02/01/2017**

## निर्णय

1. यह परिशोधन प्रार्थना–पत्र प्रार्थी (प्रत्यर्थी) मैसर्स जोगमाया ऑयल इण्डस्ट्रीज, नागौर द्वारा राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 501/2012/नागौर में खण्डपीठ द्वारा पारित किये गये निर्णय दिनांक 19.12.2012 में परिशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना–पत्र में कथन किया गया है कि अपील संख्या 501/2012 के आदेश में माननीय राजस्थान कर बोर्ड ने प्रथम पैरा में कर निर्धारण आदेश की तारीख 192.01.2011 लिख दी है, जो कि दिनांक 12.01.2011 थी, अतः इसे संशोधन किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने कथन किया कि चूंकि माननीय राजस्थान कर बोर्ड का उक्त आदेश दिनांक 19.12.2012 में प्रार्थी के द्वारा उत्पादित माल खाद्य तेल के बाई–प्रोडक्ट के रूप में उत्पादित माल ऑयल केक के करमुक्त होने से इस पर जो आई.टी.सी. राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 18 के तहत रिवर्स की गई है, उस पर पुनः विचार किया जावे। इस सम्बन्ध में माननीय केरल उच्च न्यायालय के निर्णय **मिनाक्षी फ्लोर ऑयल मिल बनाम स्टेट ऑफ केरला 113 एस.टी.सी. 385 (केरल)** का हवाला दिया, के आधार पर आई.टी.सी. का लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया एवं रेकॉर्ड पर परिलक्षित त्रुटि बताया।

4. अप्रार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड का आदेश दिनांक 19.12.2012 पूर्णतया विवेचना के साथ किया गया निर्णय है, जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय **वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवंचन श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड इण्डस्ट्रीज, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32**

लगातार.....2

**टैक्स अपडेट 03** में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार एवं उसके प्रकाश में यथा वेट अधिनियम के पूर्ण विवेचन के साथ में आदेश पारित किया किया गया है, जिसमें किसी भी तरह की रेकॉर्ड पर परिलक्षित त्रुटि नहीं है, बल्कि प्रार्थी द्वारा आदेश को केवल रिव्यू करने की प्रार्थना की गयी है कि संशोधन की परिधि में सम्मिलित होता है, अतः प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का कथन किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रार्थी का प्रथम बिन्दु कि दिनांक 19.12.2012 के आदेश में कर निर्धारण अधिकारी के आदेश की दिनांक त्रुटिपूर्ण 192.01.2011 अंकित की गयी है, उसे 12.01.2011 अंकित किया जावे, इसे स्वीकार करते हुए माननीय राजस्थान कर बोर्ड के आदेश दिनांक 19.12.2012 के प्रथम पैरा में कर निर्धारण आदेश की दिनांक 12.01.2011 किया जाता है। अतः इसे **दिनांक 12.01.2011** पढ़ा जावे।

7. प्रार्थी की ओर से संशोधन प्रार्थना–पत्र में दूसरा बिन्दु यह प्रस्तुत किया है कि उन्हें खाद्य तेल निर्माण के दौरान जो करमुक्त माल खल प्राप्त हुआ है, उसके अनुपात में जो आई.टी.सी. रिवर्स की गयी है, उसे दिया जावे। प्रार्थी का यह आवेदन वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत मानने योग्य नहीं है क्योंकि विवादित आदेश 19.12.2012 मूलतया इसी बिन्दु पर किया गया आदेश है कि निर्माण के दौरान करमुक्त माल के प्राप्त होने पर उस अनुपात में आई.टी.सी. रिवर्स की जायेगी एवं इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त वर्णित मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड्स लिमिटेड के आदेश के आलोक में पूर्ण विवेचित आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी तरह की भूल नहीं है ऐसी स्थिति में इस आदेश को मात्र रिव्यू करवाने की मंशा से यह प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है जो विधिविरूद्ध है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253]** में यह स्पष्ट अवधारित किया गया है कि रेकॉर्ड पर परिलक्षित त्रुटि को सुधार किया जा सकता है ना कि किसी आदेश के तथ्यों एवं विधि का पुनरीक्षण अनुमत है। अतः इस बिन्दु पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है।

8. परिणामस्वरूप प्रार्थी का संशोधन प्रार्थना–पत्र उपरोक्तानुसार आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

9. निर्णय सुनाया गया।

( के. एल. जैन )
सदस्य

2.1.2017
( मदन लाल )
सदस्य